|| ओ३म् ||

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

(नैक से "A" ग्रेड प्राप्त एवं यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri Vishwavidyalaya, Haridwar

(NAAC "A" Grade Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

पत्रांक: GSH/230

दिनाङ्क: 19.04.2020

कार्यालय आदेश

Covid-19 के सन्दर्भ में भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा दिए गये दिशानिर्देशों एवं बढ़ते संक्रमण के आलोक में आदेशानुसार 22 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक विश्वविद्यालय के सभी परिसर/ संकाय निम्न शर्तों के आनुसार बन्द रहेंगे-

1- विश्वविद्यालय बन्द रहने की स्थिति में सभी प्राध्यापक Online Classes समय-सारणी के अनुसार लेते रहेंगे तथा छात्र/छात्राऐं अनावश्यक रूप से परिसर/संकाय में नहीं आयेंगे।

2- समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यालय छोड़ने की सूचना सम्बन्धित सक्षम अधिकारी को देनी अनिवार्य है। मुख्यालय छोड़कर बाहर जाने की स्थिति में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी लौटकर आने पर अपनी 72 घंटे पूर्व तक की RT-PCR Negative Report कार्यालय में जमा करेंगे।

3- विश्वविद्यालय की आवश्यक सेवाओं के सन्दर्भ में आवश्यकतानूसार किसी भी शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी को कार्यस्थल पर बुलाया जा सकता है अथवा टेलीफोन पर सम्पर्क किया जा सकता है।

4- विश्वविद्यालय से कार्यस्थल पर आवश्यक सेवाओं को संचालित करने में सम्बन्धित कर्मचारियों को मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना एवं आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

5- विश्वविद्यालय की सभी आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु संकायाध्यक्ष/कॉर्डिनेटर/ विभागाध्यक्ष/ विभागीय प्रभारी/ कार्यालय प्रभारी/ अनुभाग अधिकारी/ प्रोफेसर इंचार्ज आवश्यकतानुसार अपने कार्य स्थल पर प्रातः 10:00 बजे से 02:00 बजे तक कोविड-१९ के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए उपलब्ध रहेंगे, जिससे कि विश्वविद्यालय की कार्य व्यवस्था भी चलती रहे।

6- यदि किसी भी कर्मचारी को कोविड संक्रमण से सम्बन्धित लक्षण दिखाई देते हैं तो उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को देना अनिवार्य है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि:

1- मान्य कुलपति
2- समन्वयक, कन्या गुरुकुल परिसर, हरिद्वार/ देहरादून
3- समस्त संकायाध्यक्ष
4- समस्त विभागाध्यक्ष
5- समस्त कार्यालयाध्यक्ष
6- कुलसचिव कार्यालय

कुलसचिव